



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ—226001
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
(A Government of U.P. Enterprise)
CIN: U40101UP1980SGC005065

0522-2218213

संख्या: 2806 / मा०सं०प्र०—०४ / उ०नि०लि० / २०२२—४५—मा०सं०—०४ / २००८

दिनांक: 24/12/2022

कार्यालय—ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 211वीं बैठक, जो दिनांक: 14/12/2022 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आइटम संख्या—211.7 पर लिये गये निर्णयानुसार, निगमादेश संख्या: 641 / मा०सं०(04) / उ०नि०लि० / २००९ दिनांक: 24/04/2009 द्वारा प्रख्यापित “उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली—2008” के बिन्दु—‘ब’ के उपबिन्दु—IV एवं बिन्दु संख्या—18 में प्राविधानित व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है:—

ब.(IV): अधिकृत चिकित्सालय का तात्पर्य “केन्द्र सरकार/उ०प्र० राज्य सरकार/सम्बन्धित राज्य सरकारों/केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों एवं निगमों द्वारा संचालित चिकित्सालयों/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों/संस्थानों” से है।

18. सेवानिवृत्त कार्मिक जो प्रदेश के बाहर निवास करते हैं: “पूर्ववर्ती परिषद/उत्पादन निगम लि० की सेवाओं से सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक, जो सेवानिवृत्ति के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अन्य किसी राज्य में निवास करने लगे हैं, द्वारा यदि स्वयं का अथवा अपने आश्रित परिजन का केन्द्र सरकार/उ०प्र० राज्य सरकार/सम्बन्धित राज्य सरकारों/केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों एवं निगमों द्वारा संचालित चिकित्सालयों/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों/संस्थानों में भर्ती रहकर अथवा लम्बी अवधि तक वाह्य रोगी के रूप में चलने वाली बीमारियों की चिकित्सा कराई जाती है तो उक्त उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति निगम में प्रचलित दरों पर अनुमन्य होगी। वाह्य रोगी के रूप में चलने वाली बीमारियों के चिकित्सार्थ मात्र दवाओं पर किये जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चिकित्सा परिषद की अनुशंसाओं पर की जाएगी। सम्बन्धित चिकित्सालय केन्द्र सरकार/सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिस राज्य में सेवानिवृत्त कार्मिक निवास कर रहा है, की पुष्टि कराना दावेदार कार्मिक का दायित्व होगा।”

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 2806 / मा०सं०प्र०—०४ / उ०नि०लि० / २०२२, तददिनांक:—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमसंख्या: 2/-





0522-2218213

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
(A Government of U.P. Enterprise)
CIN: U40101UP1980SGC005065

-::2::-

3. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) / (तकनीकी) / (वित्त) / (परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता(स्तर- ।/।।), अनपरा / ओबरा / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र) / ओबरा(सोनभद्र) / पारीछा(झाँसी) / हरदुआगंज, कासिमपुर(ललीगढ़) / पनकी(कानपुर)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर- ।), २×६६० मे०वा०, जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि०, मलावन(एटा)।
6. मुख्य अभियन्ता(स्तर- ।/।।), (मा०सं०) / (पी०पी०एम०एम०) / (तापीय परिचालन) / (ईधन) / (पर्यावरण एवं सुरक्षा) / (जानपद-नव परियोजनाएँ) / (वाणिज्य) / (आर०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता(स्तर- ।), न्यू कोल ब्लॉक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी०सी०/४६-V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
8. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक(चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की २११वीं बैठक के एजेण्डा आइटम संख्या-२११.७ के संदर्भ में प्रेषित।
11. मुख्य प्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, मा०सं०-०१/०२/०३/०४/०५/०६/रिफॉर्म/ औद्योगिक सम्बन्ध/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/वित्त एवं लेखा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी०सी०/४६वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. अधिशासी अभियन्ता/उप सचिव/अनु सचिव, मा०सं०-०१/०२/०३/०४/०५/०६/रिफॉर्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. कट फाइल।

आज्ञा से,

24.12.2022
(डी० के० शमी)
अधीक्षण अभियन्ता(मा०सं०-०४)